

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह,

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं04,
जनपद अमरोहा।

सेवा में,

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,

विषय: दिये गये सम्पत्ति विवरण को विलम्ब से भेजे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा सेवा में आने व 2006 से लेकर 2010 तक का सम्पत्ति विवरण (Property Statement) समय से पूर्व में ही भेजा जा चुका है।

मेरे द्वारा 2011 से लेकर 2020 तक का सम्पत्ति विवरण पिताजी की बीमारी के कारण उनकी देखभाल व हार्ट के बाईपास ऑपरेशन व कोविड-19 के प्रकोप व उसी दौरान वार्षिक (Annual Transfer) स्थानान्तरण होने के कारण समय से नहीं भेजा जा सका। मेरे द्वारा जानबूझकर विलम्ब कारित नहीं किया गया है। सम्पत्ति विवरण (Property Statement) भेजने में जो भी विलम्ब किया गया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।

सादर

भवदीय



(सूर्य प्रकाश सिंह) 31.05.2022

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं04,
जनपद अमरोहा।